

# **Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri**

## **NOTICE INVITING E-TENDERS**

Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri invites online tenders (through e-tendering system) from the eligible Contractors/Individuals/Firms/ for following work falling under the limits of Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri

Sr. No.	Name of Work	Tender Document Fees (Rs.)	E.M.D.	Date & Time		
				Start date	End Date	Opening Date
1	Only Door to Door Collection of biodegradable & non- biodegradable Garbage/Waste & Transportation to Dustbins/Collection points in <b>Zone No. I</b> – Ward No. 1, 2, 3, 7, 11, 12 <b>Population – 137303 (Approx.)</b> <b>Unit – 37522 (Approx.)</b>	2000/-	1,00,000/-	20-06-2017 from 09:00 AM	28-06-2017 up to 3:00 PM	28-06-2017 From 5:00 PM
2.	Only Door to Door Collection of biodegradable & non- biodegradable Garbage/Waste & Transportation to Dustbins/Collection points in <b>Zone No. II</b> – Ward No. 16, 17,18, 19, 20 <b>Population – 113959 (Approx.)</b> <b>Unit – 25764 (Approx.)</b>	2000/-	1,00,000/-	20-06-2017 from 09:00 AM	28-06-2017 up to 3:00 PM	28-06-2017 From 5:00 PM

**Note :-**

- i. **For the above mentioned Zones (I) & (II). The Contractors/Individuals/Firms can only apply for one single tender. Any Contractors/Individuals/Firms applying for two or more tenders from the above mentioned list shall be considered as rejected for all the tenders they had applied.**
- ii. Details regarding terms & conditions including the tender documents are available on the website <http://etenders.hry.nic.in/www.mcynt.com> and also in Office of Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri.
- iii. Tenders will have to submit hard copies of all requisite documents in the office of Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri before 28-06-2017 upto 3:00 PM otherwise bid will liable to be rejected.
- iv. As the Bids are to be submitted online and are required to be encrypted and digitally signed, the Bidders are advised to obtain Digital Signature Certificate (DSC) at the earliest.
- v. Earnest money and Tender fee in shape of Demand Draft in favor of Commissioner, Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri must be submitted in the office of Municipal Corporation Yamunanagar-Jagadhri before the closing date.
- vi. The firms which qualify technical criteria will be eligible for opening of financial bids.
- vii. Commissioner, Municipal Corporation, Yamunanagar-Jagadhri reserves the right to accept/reject or cancel any tender/Bid without assigning any reason.

**Note :- For any inquiry please contact on Ph. No. 01732-228167. (mc.yamunanagar@gmail.com)**

Commissioner,  
Municipal Corporation,  
Yamunanagar-Jagadhri

## नियम व शर्तें

1. नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के जोन नं0 I व II के वार्डों में केवल डोर-टू-डोर कूड़ा उठवाने का कार्य करवाया जाना है। ठेकेदार द्वारा घर-घर से गलनशील व अगलनशील कूड़ा अलग-अलग एकत्रित करके डस्टबीन/स्थान तक पहुंचाने का कार्य करवाया जाना है। जो ठेकेदार/एजेन्सी नगर निगम को प्रतिमास एकमुश्त राशि अधिक देगा उसी ठेकेदार/एजेन्सी को ठेका दिया जाएगा तथा यह राशि प्रतिमास की 10 तारीख से पूर्व निगम कोष में जमा करवानी होगी।
2. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को निगम क्षेत्र के रिहायशी मकानों, वाणिज्य, व्यवसायिक, हस्पताल, शैक्षणिक संस्थाओं से हरियाणा सरकार की अधिसूचना 14/153/2011-4C दिनांक 24.10.2011 के अनुसार मासिक शुल्क (यूजर चार्जिज) स्वयं एकत्रित करेगा व जो ठेकेदार का स्वयं का होगा। यदि ठेकेदार यूजर चार्जिज एकत्रित नहीं कर पाता है तो नगर निगम की कोई जिम्मेवारी न होगी व इस सम्बन्ध में ठेकेदार नगर निगम से कोई क्लेम नहीं करेगा। जिसमें से कम्पनी/एजेन्सी द्वारा अपने कर्मचारियों को कूड़ा उठाने के लिए (कर्मचारियों की वर्दी, बेलचा, टोकरी, रिक्शा रेहड़ी, श्री-व्हीलर) अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा तथा अन्य हर प्रकार का खर्च भी एकत्रित किए गए यूजर चार्जिज में से स्वयं वहन करेगा।
3. ठेका ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा। एक ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी जोन नं0 I व II में से केवल एक ही जोन में निविदा भर सकेगा। जो ठेकेदार एक से अधिक जोन में निविदा भरेगा उसकी निविदा रद्द कर दी जाएगी तथा ठेके में भाग लेने वाले ठेकेदार/एजेन्सी के पास वैध लेबर लाईसैंस, ई.एस.आई. नं0, सर्विस टैक्स नं0, पैन/टिन नं0 होना अनिवार्य है तथा कार्य योजना (वर्क प्लान) व ठेकेदार किसी सरकारी विभाग से ब्लैक लिस्ट नहीं है, बारे शपथ पत्र देना होगा उक्त सभी कागजात तकनीकी बिड के साथ हार्ड व सॉफ्ट कॉपी जमा करवाने होंगे जो फर्म हार्ड कापी जमा नहीं करवाएगी तथा तकनीकी बिड के दस्तावेज पूरे नहीं करेगा तो उस फर्म की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी।
4. ठेके की अवधि दो वर्ष तक होगी जिसमें पहले तीन मास की अवधि ट्रायल आधार पर होगी यदि इस अवधि में कार्य संतोषजनक पाया गया तो ठेके की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ा दी जायेगी। इसके पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से कार्य एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।
5. a) ई-निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का किसी भी प्रकार के सफाई कार्य के लिए 3 वर्ष में कम से कम पचास लाख रुपये की टर्न-ओवर होना अनिवार्य है। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा सी.ए. से सत्यापित तकनीकी बिड के साथ नगर निगम यमुनानगर में उपलब्ध करवानी होगी।

- b) ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को किसी भी प्रकार के सफाई कार्य का तीन वर्षों का अनुभव सरकारी विभाग, नगर निगम/परिषद/पालिका में होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में तकनीकी बिड के साथ जमा करवानी होगी।
6. प्रत्येक ठेके के लिए ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को धरोहर राशि के रूप में 1 लाख रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी के पक्ष में दिनांक 28.06.2017 को सायं तीन बजे से पूर्व जमा करवाना होगा। ऐसा न करने की सूरत में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी की निविदा मान्य नहीं होगी।
  7. ई-निविदा में सफल निविदादाता को निविदा के साथ जमा करवाए गए 1 लाख रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट को नगर निगम कोष में धरोहर राशि के रूप में परवर्तित कर दिया जायेगा। उक्त राशि के अतिरिक्त 5 लाख ₹0 की बैंक गारन्टी वर्क आर्डर मिलने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर देनी होगी। जिसकी वैधता कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए व उक्त 1 लाख ₹0 की धरोहर राशि ठेके की अवधि को कार्य संतोषजनक पूर्ण होने उपरान्त बिना ब्याज के वापिस कर दिया जायेगा।
  8. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नगर निगम प्रशासन के सहयोग से निगम क्षेत्र में अपने-अपने घरों/संस्थानों में गलनशील व अगलनशील कूड़ा अलग-2 एकत्रित करने के लिए दो अलग-2 डस्टबीन लगाने बारे प्रेरित व जागरूक किया जायेगा।
  9. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा आम जनता की शिकायत का इन्द्राज करने के लिए प्रत्येक वार्ड में स्थान चिन्हित करके टेलिफोन नम्बर, व्हाट्सएप नम्बर व एक कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध करवानी होगी। नगर पार्श्व व आम जनता द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा न उठाने की शिकायत 24 घंटे के अन्दर-2 निपटान करके निगम कार्यालय में भी सूचित करना होगा तथा प्रत्येक वार्ड में एक सुपरवाइजर नियुक्त करना होगा तथा उनको मोबाईल फोन व आवागमन के साधन देने होंगे।
  10. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा प्रति दिन डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित किया जायेगा जिसके लिए ठेकेदार को कम से कम 200 घरों का गलनशील व अगलनशील कूड़ा उठाने के लिए एक रिक्शा रेहड़ी/थ्री-व्हीलर अथवा अन्य साधन तथा इसके साथ कम से कम दो कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रित करने का कार्य प्रतिदिन करवाना होगा अगर एजेन्सी/ठेकेदार का कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए नहीं जायेगा तो पहले दिन 50 ₹0 प्रति घर जुर्माना लगाया जाएगा और अगर दूसरे दिन भी कूड़ा नहीं उठाया जाता तो 100 ₹0 प्रति घर जुर्माना राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी। अगर फिर भी कूड़ा नहीं उठाया जाता तो प्रतिदिन 100-100 ₹0 बढ़ाकर जुर्माना लगाया जाता रहेगा।
  11. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा जो कर्मचारी इस कार्य के लिए रखे जायेगे वे सभी वर्दी में होंगे जिन्हें ठेकेदार अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा। उन सब की आयु 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी लगाये गये किसी भी कर्मचारी से दुर्घटना या लड़ाई-झगडा होता है तो उसका निपटान ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अपने स्तर पर करना होगा तथा नगर निगम की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
13. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा नियम व शर्तों के अनुसार 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर ठेका छूटने के एक सप्ताह के अन्दर-2 इकरारनामा करना होगा।
14. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को राजकीय अवकाश वाले दिन भी डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने का प्रबन्ध अवश्य करना होगा तथा प्रतिदिन गलनशील व अगलनशील कूड़े को नगर निगम द्वारा निर्धारित कुलेक्शन प्वाइंट पर एकत्रित करेगा।
15. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी किसी अन्य ठेकेदार को कार्य सबलैट नहीं करेगा यदि ऐसा करता है तो आयुक्त नगर निगम को ठेका रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. नगर निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को डोर-टू-डोर कूड़ा उठवाने के कार्य का निरीक्षण करने वारे सम्पूर्ण अधिकार होगा व उनकी रिपोर्ट अनुसार आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
17. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा घर-घर से कूड़ा उठवाने का कार्य सुबह 7:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक पूरा करना होगा।
18. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को नियमानुसार प्रत्येक मास की 7 तारीख से पूर्व श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948/डी0सी0 रेट/सरकार की हिदायतों के अनुसार भुगतान करने का बाध्य होगा व भुगतान बैंक के माध्यम से करना होगा।
19. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये गये कर्मचारी कूड़े में आग नहीं लगायेंगे अगर ऐसा पाया जाता है तो 5000 रू0 प्रति घटना/स्थान जुर्माना राशि वसूल की जाएगी तथा माननीय एन0जी0टी0 के निर्देशों अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा ठेका रद्द करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
20. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के कर्मचारी यदि किसी अवस्था में हड़ताल/नारेबाजी आदि नहीं करेंगे।
21. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा लगाये कोई भी कर्मचारी नगर निगम के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी, नगर पार्षद अथवा आम जनता से दुर्व्यवहार करता पाया जाता है तो उस कर्मचारी को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा।
22. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा निविदा के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में किसी भी समय कोई कमी पाई जाती है तो ठेका तुरन्त प्रभाव से ठेका रद्द कर दिया जायेगा।

23. निगम द्वारा किसी भी समय वार्डों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। यदि वार्डों की संख्या अधिक की जाती है तो ठेकेदार द्वारा नगर निगम में प्रतिमास दी जाने वाली राशि उसी अनुपात जमा करवानी होगी।
24. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा किसी भी लेबर अधिनियम 1970 की उल्लंघना के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा तथा किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व निर्देशों का पालन करने का बाध्य होगा।
25. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट नहीं उठायेगा न ही इसे अन्य कूड़े में मिलने देगा।
26. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के जीवन/स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेवारी एजेन्सी की होगी व प्रत्येक कर्मचारी को अपने स्तर पर पहचान पत्र देना होगा।
27. किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताए स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
28. आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी को कार्य संतोषजनक न होने अथवा किसी भी समय बिना कारण बताए ठेका रद्द करने का व शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित होगा। जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी का कोई भी एतराज मान्य न होगा।
29. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी के पास कार्यरत सभी कर्मचारियों की सूची कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।
30. जिन स्थानों/डस्टबीनों पर डोर-टू-डोर एकत्रित कूड़ा डाला जायेगा, उन स्थानों पर डस्टबीन के नीचे पड़ा हुआ कूड़ा भी डस्टबीनों के अन्दर डालना होगा। अगर एजेन्सी/ठेकेदार के कर्मचारी ऐसा करते पाए गए तो 500 ₹0 प्रति डस्टबीन/स्थान जुर्माना राशि वसूल की जाएगी।
31. नियम व शर्तों में यदि व्याख्या (Interpretation) में कोई संदेह उत्पन्न होता है उस बारे में ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा लिखित में कार्यालय को देना होगा जिस पर अन्तिम फैसला आयुक्त, नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी का मान्य होगा।
32. सफल ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को इकरारनामे की शर्तों व अन्य किसी कार्य पर मतभेद होने पर निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकूला मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) होंगे। मध्यस्ता अधिकारी (आर्बीट्रेटर) द्वारा दिया गया फैसला व आदेश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।